महत्वपूर्ण

संख्या-344/xiv-1/21-4(3)/2021

प्रेषक,

प्रदीप जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादूनः दिनॉक 08 जून, 2021

विषय– जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून के निदेशक मण्डल के सदस्यों के शिकायती पत्र की जांच विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून के निदेशक मण्डल के सदस्यों का शिकायती पत्र दिनांक 01.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून के अध्यक्ष, सचिव एवं महाप्रबन्धक के विरूद्ध की गयी शिकायत की जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून के निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, सचिव/महाप्रबन्धक के विरूद्ध की गयी शिकायत की उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निबन्धक को प्रदत्त अधिकारों के तहत जांच करते हुए, जांच आख्या से एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

R-344/2021

704
31/3/21

J.S/SO

put up on file

सेवा में,

सचिव, सहकारिता

उत्तराखण्ड, देहरादून

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव
विद्यालयी शिक्षा, सहकारिता,
डेरी, मत्स्य पालन एवं ...

दिनांक 01-04-2021

01/04/2021

विषय– **जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जिला सहकारी बैंक लि0 देहरादून में अध्यक्ष/ सचिव द्वारा बैंक में नियम विरूद्ध कार्य किये जा रहे हैं। दिनांक 10–12–2018 से वर्तमान तक अधिकतर कार्य संचालक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष व सचिव द्वारा कराये जा रहे हैं जबकि उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 व उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 में प्रत्याशा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। इसके वावजूद बैंक अध्यक्ष व सचिव/ महाप्रबन्धक द्वारा प्रत्याशा में अधिकांश कार्य किये जा रहे हैं जो कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली व बैंक के संगम अनुच्छेद/ उपविधियों का उल्लंघन हळै। सामान्य बैंठक के प्रस्तर 4 का आज तक पालन नहीं किया जा रहा हळै न ही इस प्रस्तर 4 के अनुसार कोई कार्यकारिणी समिति बैंक में गठित की गई है।

बैंक अध्यक्ष व सचिव/ महाप्रबन्धक द्वारा कभी भी प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही साथ साथ नहीं लिखी जाती है । बाद में टाइप किये हुए पन्ने कार्यवाही पुस्तिका में चिपका दिये जाते हैं जो कि नियम विरूद्ध है! इसके गवाह जिला सहायक निवन्धक, सहकारी समितियां देहरादून स्वयं हैं जो कि बैठकों में उपस्थित रहते हैं तथा मौन बैठे रहते हैं जबकि वे पदेन सदस्य हैं व समस्त कार्यवाही इनके सामने होती है। इन्होंने कभी भी नहीं कहा जब कि सदस्य कार्यवाही साथ साथ लिखने को कह रहे हैं तो क्यों न साथ साथ लिखी जाए । ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनियमितताओं में इनकी भी मौन स्वीकृति है। इसकी भी जांच की जाए व सचिव/ महाप्रबन्धक को निर्देशित किया जाए कि बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही साथ साथ लिखी जाए व बाद में कोई भी पत्र कार्यवाही पुस्तिका पर न चिपकाया जाए व सदस्यों की आपत्ति जिस प्रस्ताव पर है उसके प्रस्ताव के साथ ही आपत्ति लिखी जाए तथा बैंक बाईलाज के अनुसार ही कार्य किये जायें ।

भवदीय

श्री जोशी
1/4/2021

अध्यक्ष व सचिव द्वारा दिनांक 10–12–2018 से आज तक प्रत्याशा में किये गये कार्यो की जांच कराई जाए साथ ही निम्न कार्यो की भी जांच कराई जाए –

1– माइक्रो फाईनैन्स में लगायी गयी रकम की जांच जिसमें लगभग 10 लाख रू का भुगतान किया गया जो कि आज तक कहीं धरातल पर नहीं है।

2– रू 150000/– अध्यक्ष/ सचिव द्वारा एन जी ओ को देने की जांच की जाए ।

3– एन पी ए वसूली कम्पनी को बैंक द्वारा कमीशन देने की जांच की जाए जिसके द्वारा बैंक को लाखों रू की हानि हो चुकी है।

4– बैंक की ए0 जी0एम0 व संचालक मण्डल के सदस्यों के गोवा भ्रमण पर हुये खर्चो का विवरण आज तक प्रबन्ध समिति की बैठक में नहीं रखा गया इसकी जांच की जाए ।

5– आई टी विभाग में संविदा पर लगे कर्मचारियों की जांच की जाए कि इनके द्वारा स्वयं ही अपने खातों में 10 माह का बढ़ा वेतन स्वयं ही ट्रांसफर करने जैसा अपराध किया गया तथा संचालक मण्डल के निर्णय के विपरीत इनको 40 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी दी गई इस की भी जांच की जाए ।

6– पूर्व में बैंक में संविदा पर कार्यरत दो कर्मचारियों को पक्का किया गया जो कि नियम विरूद्ध था उसकी भी जांच कराई जाए ।

7– बैंक के भवनों में किराया स्वयं ही अधिक करना, उदाहरण शाखा माजरा, की भी जांच कराई जाए ।

8– सरकार द्वारा अधिकृत समाचार पत्रों में टेन्डर प्रकाशित न कराकर अन्य में देकर टेन्डर व कार्य कराये जाने की जांच की जाए ।

9– एनपीए कम होने तक बैंक की नई शाखाएं न खोली जाए । पशुलोक में खुली शाखा की जांच, कार्य न होने पर भी शाखा खोली गई है जो कि बैंक को हानि पहुँचाने जैसा अपराध है तथा कहीं पर भी पहले क्षेत्र की जांच नहीं की जाती कि कौन सा स्थान शाखा खोलने हेतु उचित है।

10– वर्तमान में बैंक का लाभ लगभग शून्य ही है कोई प्रोविजन नहीं किया गया है।

11– अध्यक्ष व सचिव द्वारा प्रत्याशा में स्वीकृत ऋण सीमाओं की जांच की जाए ।

12– नाबार्ड/ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि वह अपना प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित रखें जिससे कार्यवाही पारदर्शी रहे ।

13- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संविदा पर रखने हेतु प्रत्येक कर्मचारी से 150000/- रू रिश्वत लिये जाने की चर्चा है पूर्व में रखे गये इन 15 कर्मचारियों के सम्बन्ध में जांच की जाए ।

14- वर्तमान सचिव/ महाप्रबन्धक द्वारा बैक की शाखा नेहरू कालोनी में शाखा प्रबन्धक पद पर रहते हुए वितरित किये गये ऋण जो अधिकांश वर्तमान में एनपीए हैं की वसूली हेतु सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि श्रीमति थपलियाल जूनियर ब्रांच मैनेजर की लगभग 5 वर्ष पूर्व की प्रतिकूल चरित्र पंजिका प्रविष्टि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सही कर उन्हें सीनियर ब्रांच मैनेजर बनाने की जांच की जाए । संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा धन लेकर उक्त की चरित्र पंजिका की प्रतिकूल प्रविष्टि को सही किया गया है जाबक चरित्र पंजिका प्रविष्टि शासनादेश संख्या 1971 कार्मिक 2 के अनुसार जब चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है उक्त तिथि के 6 सप्ताह के अन्दर ही प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की जाएगी यदि उक्त अवधि में प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो कारण बताने पर 6 सप्ताह और तिथि बढाई जा सकती है। इन प्रत्यावेदानों पर 3 माह के अन्दर निर्णय लिया जायेगा । लेकिन उक्त निर्णय में वर्तमान अध्यक्ष व सचिव कैसे स्वयं निर्णय कर उनकी चरित्र पंजिका सही कर सकते है यह सरासर नियम विरूद्ध है जबकि उक्त कर्मचारी द्वारा अपनी गलती स्वयं मानी गई थी ।

आपको यह भी अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों/ अकृषकों को ढ एक लाख से तीन लाख रू तक का बयाज रहित ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना पत्रांक 2.038 दिनांक 10-8-2020 द्वारा लागू की गइ परन्तु जिला सहायक निबन्धक देहरादून तथा सचिव/ महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक देहरादून द्वारा जारी पत्रांक 939 दिनांक 29-9-2020 के वर्ष 2020-21 हेतु ऋण वितरण के वार्षिक लक्ष्य में किस तरह से बैंक की सभी शाखाओं से भेदभाव कर सबसे ज्यादा ऋण हेतु आबंटित राशि अध्यक्ष की पैतृक शाखा रानीपोखरी को 81 (1 करोड़ 10 लाख) लाख रू दिया गया है जो कि जांच का विषय हळै। इसमें से अधिकतर ऋण स्वयं सहायता समूह के लोगों को ही बांटा गया है जो कि एक महिला द्वारा कमीशन लेकर बंटवाया जा र हा है इसकी भी जांच की जानी चाहिए ।

दीनदयाल उध्याय स्वय सहायता समूह के अन्तर्गत सरकार द्वारा ब्याल मुक्त ऋण किसानो को दिया जा रहा है। इसमें श्रीमति मीरा अधिकारी इस ऋण को समूहो को बट वा रही है तथा 5 लाख के ऋण में 25000 रूपये कमीशन ले रही है। हमारे द्वारा आपत्ति करने पर सचिव/महाप्रबन्धक द्वार बताया गया कि इसको नाबार्ड द्वारा रखा गया है, यह केसी ब्याज मुक्त योजना है। जिसमें किसानों से पैसे लिये जा रहे है, ऐसी ब्याज मुक्त ऋण योजना का क्या फायदा है इससे किसानो में रोष है, व सरकार की बदनामी हो रही है। इसमें भी भष्टाचार की बू आ रही है। अधिकतर समूीह कार्य कर ही नही रहे है।

वर्ष 2018–19 से दिनांक 09.03.2021 तक के बैक के खर्चो का ब्योरा प्रबन्ध समिति की बैठक में कभी रखा ही नहीं गया। रिजर्व बैक की गाईड लाईन के अनुसार बैक का N.P.A. 5% होने पर ही नई शाखाऐ खोली जाऐ जिसमें निबंधक पत्र भी यही कहता है। तथा सहकारी मंत्री द्वारा भी इसी प्रकार कहाँ गया था, अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रत्याशा में नई शाखोए स्वंय खोली जा रही है। जबकि वर्तमान में बैक का N.P.A. 15% से 18% प्रतिशत है। इनके द्वारा दिंनाक 03.11.2019 के प्रस्ताव में बैक की नई शाखा नाथूवाला पेलियों किसान सेवा सहकारी समिति लि0 देहरादून में खोली जाऐ। जिसका प्रस्ताव सं0 16(2) दिंनाक 03.11.2017 जो संचालन मण्डल, डिस्ट्रिम्ट को आपेरेटिव बैक लि0 देहरादून में पारित किया गया था, जिस पर किसान सहकारी समिति ने निबंधक को प्रेषित पत्र में वर्ष 2020–21 में कहा गया था कि हम किराया भी कम लेगे। इसके बावजूद अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशा में बैक की शाखा नयागांव में भाजपा के नेता पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैक के यहा खोला जा रही है। जिससे ग्रामीणो व समिति के सदस्यों में रोष है तथा इसकी शिकायत निबधक को करने के उपरांत भी गई कार्यवाही नही हुई है, लगता है इनका भी मौन स्वीकृति है।

अध्यक्ष/सचिव जिला सहकारी बैक लि0 देहरादून द्वारा आज तक अधिकतर कार्य प्रत्याशा में किये गये है। जो कि बैक By-Laws के अनुसार नियम विरूद्ध है। इनके द्वार 6 माह बाद समिति कि बैठक दिनांक 09.03.2021 को सम्पन्न की गई जिसमे अध्यक्ष द्वार प्रत्याशा में पारित दिनांक 05.02.2021 में पारित प्रस्ताव सं0 1 के क्रम में अध्यक्ष व सचिव द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें समिति के स्वीकृति के बिना ही खर्चा कि गया। इसके द्वारा सचांलको को सोने का 5 ग्राम का सिक्का दिया गया जबकि बैक की वित्तीय स्थिति सही नही है। इसका संचालक से पैसा लिया जाऐ तथा प्रत्याशा में पारित प्रस्ताव (2) दिनांक 05.02.2021 स्वीकृत

खर्च भी स्वंय ही किया जो खर्चा हुआ समिति में रखा ही नही दिनांक 17.02.2021 में पारित प्रस्ताव 01 में आमेलन के क्रम में सजय सिंहह राणा (सामान्य) का आमेलन प्रिथौरागढ़ से देहरादून किया गया इसमे पेसे लेने की बात कही जा रही है। जबकि यह पद अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जो कि नियम विरूद्ध है दिनांक 09.03.2021 के प्रस्ताव सं07 में अवनीश वर्मा व शेरखान को नियम विरूद्ध बैक में नियुक्त करने का प्रस्ताव हमारी आपत्ति के बाद स्वीकार किया गया जब कि शेरखान द्वारा सीधी भर्ती धारा 122/20–21 में आवेदन किया हुआ है, तथा अध्यक्ष/सचिव द्वारा उत्तरप्रदेश के निवासी आउटसोर्सिंग/सविदां पर कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश यादव व मनोज शर्मा का आमेलन हमारी आपत्ति के बावजूद भी किया जा रहा है। इसमें भी अध्यक्ष द्वार मोटी रकम लेनी की चर्चा है। इसी प्रकार पूर्व में भी 2 कर्मचारी का आमेलन किया गया था जिसका वाद मा0 उच्च न्यानालय में योजित है। अगर इसी प्रकार अध्यक्ष/सचिव द्वारा निबधक के आर्शीवाद से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो सीधी भर्तीयों का क्या आचीतिय रह जाऐगा। तथा यह उत्तराखण्ड के युवाओ के साथ धोखा है जबकि इसमें पूर्व में ही निबधक के पत्र दिनांक 15.02.2011 में स्पष्ट है कि इस प्रकार की नियुक्ति न की जाऐ। 09.03.2021 बैक प्रबन्ध समिति द्वारा हमारी आपत्ति के बावजूद सचिव/महाप्रबन्धक श्रीमति बन्दना श्रीवास्तव का कार्यकाल प्रस्वाव (14) में सेवा विस्तार हेतु स्वीकृति की गई जो कि नियम विरूद्ध है इनका सेवा विस्तार का अधिकार कैडर को है अध्यक्ष/सचिव/महाप्रबंधक द्वारा (एक्स) पशुलोर ऋषिकेश में जिला सहकारी बैक लि0 देहरादून की नई शाखा खोली गई जिसमें न कोई शाखा हेतु निविदा आमंत्रिम की गई न ही समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष/सचिव द्वारा स्वंय ही इसका किराया 35000 रूपये माह तय किया गया। तथा शाखा खुलने के पूर्व 6 माह से किराया दिया गया है। जोकि नियम विरूद्ध है, व दिनांक 09.03.2021 प्रबन्ध समिति की बैठक में इसको बन्द करने की चर्चा की जा रही है। इस शाखा पर व्यय समस्त खर्च सचिव से वसूला जाना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा करोड़ो का विनियोजन तथा पुराने सामान का खुर्दबुर्द करना व बिना नियमानुसार टेंडर कर अपने चहेतो को फायदा पहुँचाया है। इनके द्वारा दिनाक 09.03.2021 हमारी आपत्ति के बावजूद प्रत्याशा में सारे अधिकार प्राप्त करना यह दर्शाता है कि अध्यक्ष बैक में अपना एकाधिकार जमाना चाहते हे। इससे यह साबित होता है। कि इनके द्वारा पूर्व में प्रत्याशा में कराये कार्य अवैधनिक थे।

हमारे सज्ञान में आया है कि अध्यक्ष द्वारा सविच पर दबाव डालकर लगभग 20–25 लोगो को बैक वर्ग 3 सविंदा पर रखने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अधिकतर कर्मचारियो के रिश्तेंदार है। जोकि नियम विरूद्ध है। इसमें लाखो के लेन–देन की आशंका है। यदि इस प्रकार अनैतिक कार्य करने ही है तो पूर्व में सविंदा पर रखे सभी कर्मचारियों को आमेलित किया जाऐ।

महोदय आप से प्रार्थना है कि अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशा में वर्ष 2018 से मार्च 2021 तक करे कार्यो की जाँच सक्षम अधिकारी से करायी जाऐ तथा A.R. व सचिव के कार्यकलापो की जाँच तथा जब तक N.P.A. कम नही हो जाता व जाँच होने तक कोई भी नई शाखा न खोली जाऐ व नियमविरूद्ध नई नियुक्ति तथा सविदा पर किसी को न रखा जाऐ बैकहित में आउटसांर्सिग मे कार्य कराया जाऐ जिससे बैक पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इसके पूर्व आदेश वित्त सचिव संलग्न हैं, तथा जाँच में हमे भी शामिल किया जाऐ। हमारे द्वारा पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी इस पर कोई कार्यवाही नही की गई अब तब कि निजाम बदला है तो आशा हो कार्यवाही की जाऐगी। जिससे सरकार की छवि भी सुधरेगी।

दिनांक :–

भवदीय

निर्देशक – जिला सहकारी
बैक लि0 देहरादून
1.श्री तेग सिंह – तेगसिंह
2.श्री शिव सिंह – Shiv Singh
3.श्री अमर चन्द्र शर्मा – Amar
4.श्रीमति विनिता शर्मा – विनीता

संलग्न –

1. श्रीमति कृष्ण की प्रेषित पत्र की छायाप्रति।
2. निबन्धक सहकारिता छायाप्रति।
3. मुख्य सचिव आदेश छायाप्रति।
4. मंत्री एंव निबन्धक को प्रेषित पत्र।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्सक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
2. रजिस्टार माननीय उच्च न्यायलय उत्तराखण्ड।
3. माननीय सहकारिता मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड देहरादून।